

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बड़जलास- डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या -105/2019

जी.सी.एम.एस. नम्बर-2019/00146

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
गणपत पुत्र नारायण जाति जाट, निवासी खेड़ाधुणा, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रियांबड़ी व जिला नागौर

उपस्थिति:-

1. अपीलाण्ट की ओर से रमेश ढाका।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय

दिनांक 28/12/2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 93/2019 अधीन धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.12.2019 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का जाटावास ने तहसीलदार रियांबड़ी के समक्ष मौजा खेड़ाधुणा के खसरा नम्बर 359 के रकबे 0.32 है. किस्म गैर मुमकीन गौचर में दीवार व बाड़ बनाकर नाजायज कब्जा करने की रिपोर्ट की। जबकि, वास्तव में खसरा नम्बर 359 की भूमि कभी भी गौचर के उपयोग में नहीं आती रही है न ही उक्त भूमि पूर्व में गोचर थी, अपीलांट ने बाड़ा व दीवार करके कभी कोई अतिक्रमण नहीं किया था और न ही निर्णय के वक्त था। ग्राम खेड़ाधुणा के कई लोग अपीलांट से सख्त अदावती रखते हैं व पटवारी हल्का को अपने प्रभाव में लेकर अपीलांट के विरुद्ध उपरोक्त खसरा पर अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट करवाकर उसे तंग व परेशान करवा रहे हैं और उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार रियांबड़ी ने बिना सत्यता की जांच किये ही खसरा नम्बर 359 पर अपीलांट का अतिक्रमण मानते हुये बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया, जो गलत पारित किया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही एवं अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा पेश कि गई तथाकथित रिपोर्ट की सत्यता की जांच किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित का दिया जो खारिज होने योग्य है।

अपीलांट का खसरा नम्बर 359 की रकबा 0.32 है. किस्म गोचर की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है और न ही कोई बाड़ व दीवार उसमें बनाया हुआ है न ही उक्त भूमि वर्तमान में गोचर के उपयोग में आ रही है। बल्कि खसरा नम्बर 359 के गत खसरा नम्बर 310 है। जो गैर मुमकीन आबादी में स्थित है, जो राजस्व रेकॉर्ड से साबित है। इसके अलावा उक्त गैर मुमकीन आबादी भूमि में से अपीलांट के पिता के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 17.06.1976 को पट्टा संख्या 24 जारी किया हुआ है जहां पर अपीलांट व उसके पूर्वज निवास करते रहे हैं तथा उक्त जायगा के चारों तरफ पक्की दीवार बनाई हुई है जिसके उपयोग बाड़े के रूप में करता आ रहा है। उक्त तथ्यों की कोई जांच किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है।

वर्तमान सेटलमेंट में गलत तरमीम के कारण सरपंच व गांव के राजनैतिक खिन्ने वाले लोगों की झूठी शिकायतों के आधार पर उनको संतुष्ट करने के लिये उक्त गलत निर्णय पारित किया गया है जबकि उक्त जायगा पर अपीलांट के अलावा कम से कम 100 से अधिक लोगों के मुकान व बाड़े बने हुये। यदि वास्तव में अतिक्रमण होता तो सभी लोगों के खिलाफ पटवारी



28/12/2020
कलक्टर, नागौर

हल्का कार्यवाही करता। किन्तु पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर आदेश जैर अपील पारित किया है जो अवैध होने से अपास्त होने योग्य है।

उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का की किसी प्रकार की कोई साक्ष्य लिये बिना ही व अपीलांत को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया गया जो अवैध है।

अपीलांत एक गरीब काश्तकार है तथा मौके पर गत खसरा नम्बर 310 गैर मुमकिन आबादी में पक्की दीवार बनाकर बाड़ा बनाया हुआ है जिसका ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा भी जारी किया हुआ है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों के संबंध में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो निरस्त फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में की गई जल्दबाजी से भी स्पष्ट है कि, तहसीलदार रियांबड़ी का अपीलांत को बेदखल करने का आदेश पारित करके, अपीलांत के विरोधीयों को संतुष्ट करने का आशय रहा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पक्षपातपूर्ण होने के कारण खारिज होने योग्य होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्त ने तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 93/19 में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2019 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्त की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि गोचर किस्म की सार्वजनिक उपयोग की तथा ऐसी गोचर भूमि का किसी प्रकार से आवंटन आदि नहीं किया जा सकता है। अपीलान्त द्वारा उक्त वादग्रस्त गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्टतया साबित होने का कथन करते हुवे राजपैरोकार ने अपीलान्त की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में पटवारी हल्का जाटावास की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त द्वारा ग्राम खेड़ाधूणावाला के खसरा नम्बर 359 की 0.32 किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि पर दीवार व बाड़ लगाकर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिस रिपोर्ट की भू अभिलेख निरीक्षक रियांबड़ी द्वारा दिनांक 21.08.2019 को जाँच की गई। जहां तक अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं करने को लेकर वकील अपीलान्त का कथन है, तो उक्त संबंध में अपीलान्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित हुआ है एवं अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अपीलान्त की उपस्थिति अंकित की हुई है तथा अपीलान्त के हस्ताक्षर भी हैं। अपीलान्त द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाब भी प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्त को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.11.2019 में स्पष्ट रूप अंकन है कि "गैर सायल राजकीय भूमि गै.मु. गोचर पर अतिक्रमण होना स्वीकार किया गया" वकील अपीलान्त ने अपनी अपील में उक्त अंकन का खण्डन भी अपनी अपील में नहीं किया है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन गोचर किस्म की भूमि है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत आवंटन से प्रतिबंधित भूमि है। वकील अपीलान्त ने ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त गोचर भूमि पर अपीलान्त का अतिक्रमण नहीं हो। वकील अपीलान्त का कथन की वर्तमान सेटलमेन्ट में गलत तरमीम के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने गलत निर्णय पारित किया है, तो उक्त संबंध में अपीलान्त को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुये निर्णय की प्रति पालन में भिजवाई जावे। निर्णय सुनाया गया।



(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला कलक्टर, नगौर

कलक्टर, नगौर